

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

भि०न० - 59/2024

अनवान :-

1. मनोज कुमार पुत्र भीमसिंह जाति जाट निवासी डोभी त० भादरा।



- बनाम
1. भीमसिंह पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी डोभी तहसील भादरा।
 2. सुमन पुत्री भीमसिंह पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी डोभी त० भादरा।
 3. सरोज पुत्री भीमसिंह पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी डोभी त० भादरा।
 4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपरिस्थिति :- श्री एंड भानूप्रताप बैनीवाल वादी
श्री प्रेम प्रकाश झोरड प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक: 29/11/25

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही गौजा चक डोभी बारानी के खाता सं० 161/150 की कुल 10.8410 है० में प्रतिवादी सं० 1 भीमसिंह के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति-रिवाज से शासित है। वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पत्ति है। जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण आजकल आजकल करने लगे। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कागूनी अधिकारी है। यह ही विनाय मुख्यास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 3 ने आपसी राहभती से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं० 4 की ओर से जवाब पेश किया गया।

साक्ष्य वादी में वादी मनोज कुमार द्वारा मुख्य परीक्षा प्रस्तुत कर साक्ष्य प्रस्तुत किया गया व प्रस्तुत दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया वाद भूमि रोही गौजा चक डोभी बारानी के खाता सं० 161/150 की कुल 10.8410 है० में प्रतिवादी सं० 1 भीमसिंह के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त वाद में प्रतिवादी की पैतृक सम्पत्ति है। जिसमें प्रतिवादी सं० 1 भीमसिंह के साथ साथ वादी व प्रतिवादी सं० 2-3 का

कल्पित
अधिकारी (राजस्व),
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

जन्म से हक हिस्सा निहित है। अतः गुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर गनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही गौजा चक डोगी बाराणी के खाता सं० 161/150 की कुल 10.8410है० में प्रतिवादी सं० 1 भीमसिंह के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अपने हकों की घोषणा चाही है। प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी के साथ-साथ प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं० 1 के वादी व प्रतिवादी सं० 2 ता 3 के अलावा अन्य कोई चारिसा नहीं होना स्वीकार किया गया है। चूंकि प्रतिवादी सं० 2-3 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 1 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार उपरोक्त विवेकानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी गुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है रोही गौजा चक डोगी बाराणी के खाता सं० 161/150 की कुल 10.8410है० में प्रतिवादी सं० भीमसिंह के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं० 1 भीमसिंह केले की बजाए वादी मनोज कुमार व प्रतिवादी सं० 1 भीमसिंह को बहिस्सा बराबर के अनुसार मातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं० 2-3 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शूल्क व स्टाम्प यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्या डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29/1/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में जनाया गया।

(कल्पित अक्षरों में)

R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस

क्रि.नं० - 59/2024

अनवान :-

1. मनोज कुमार पुत्र भीमसिंह जाति जाट निवासी डोभी त0 भादरा।



वादी

बनाम

1. भीमसिंह पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी डोभी तहसील भादरा।
2. सुमन पुत्री भीमसिंह पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी डोभी त0 भादरा।
3. सरोज पुत्री भीमसिंह पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी डोभी त0 भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद गुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के राक्ष वकील वादी श्री भानूप्रताप वैनीवाल व वकील प्रतिवादीगण श्री प्रेमप्रकाश झोरड की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुत्ताविक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक डोभी वारानी के खाता सं० 161/150 की कुल 10.8410 है० में प्रतिवादी सं० 1 भीमसिंह के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं० 1 भीमसिंह अकेले की बजाए वादी मनोज कुमार व प्रतिवादी सं० 1 भीमसिंह को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं० 2-3 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शूल्क व रटामप ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना बंहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 29/11/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(कल्पित शिवरान)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) R.A.S
भादरा जिला हनुमानगढ़